रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2796] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2017/आश्विन 7, 1939
No. 2796] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2017/ASVINA 7, 1939

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2017

**का.आ. 3194(अ)**.— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

## प्रारूप अधिसूचना

और, यावल वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के जलगांव जिले मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर और 21 ° 18 '45" से 21 ° 18' 40" उत्तर अक्षांश और 75 ° 32 '15" से 75 ° 55' 27" पूर्व देशांतर के बीच स्थित है और यावल वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र 177.52 वर्ग किलोमीटर में आवृत है;

और, यावल वन्यजीव अभयारण्य अपनी समृद्ध जैव-विविधता के लिए जाना जाता है जहां पक्षियों, तितलियों, सांप, स्तनधारी, तेंदुए (*पेंथेरा पार्डस*), लकड़बग्घा (*हैना हैना*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), ग्रे लोमड़ी (*वल्प्स एसपी*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफा*), काला हिरण (*एनिलेटोप सर्विपास*), मुंजक (*मंटिया कॉस्ममन्तजक*), चिंकारा (*गज़ेले बेंनेटी*), जंगली बिल्ली (*फेलिस एसपी*), साही (*हिस्ट्रिक्स इंडिका*), रोडेंट, ऐरान, बिच्छू, घास, एंजियोस्पर्म , फर्न, आदि की विविधताएं पाई जाती हैं और दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों में से कुछ पक्षी जैसे डर्टर (*अनिंगा*), छोटे इग्रेट (*एग्रेट्टा गेर्जेट्टा*), ग्रे बगुला (*अरदेआ सिनेरेआ*), कैटल इग्रेट (*बुबुलकस इबिस*) आदि पाए जाते हैं;

और, यावल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार इस प्रकार महाराष्ट्र राज्य में यावल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 7.65 किलोमीटर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को सूचित करती है (जिसे इस अधिसूचना के **उपाबंध I** के रूप में मानचित्र में दिखाया गया है) पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

**1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**- (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन यावल वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 0 से 7.65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ सीमा को छूने से 403.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का क्षेत्रफल आता है और 21° 18 '40 "से 21 ° 20' 20" उत्तर अक्षांश और 75 ° 28 '57 "से 75 ° 59' 37" पूर्व देशांतर के बीच स्थित है।

(2) यावल वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ **उपाबंध-I** में है और वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-I** (क) में है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का विवरण **उपाबंध-II** के रुप में उपाबद्ध है ।

(4) भू निर्देशांकों सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले 16 ग्रामों की सूची **उपाबंध-III** के रुप में उपाबद्ध है ।

**2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी । आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय संबंधी बातों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(iii) वन और वन्यजीव;

(iv) कृषि ;

(v) राजस्व;

(vi) शहरी विकास;

(vii) पर्यटन;

(viii) ग्रामीण विकास;

(ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(x) नगरपालिक;

(xi) पंचायती राज;

(xii) लोक निर्माण विभाग;

(xiii) जनजातीय विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे पार्को और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यानों, झीलों और अन्य जलाशयों का अभ्यकंन करेगी। आंचलिक महायोजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीविका सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिक अनुकूल विकास को सुनिश्चित करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में कार्यों को मॉनीटर करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार अंतिम अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग.-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :- जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी सुविधाओं और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदिः

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक-पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पर्यावरण विभाग और राज्य विभागों के साथ परामर्श में पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना तैयार किया जाएगा।

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्न प्रकार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार 1 किलोमीटर से परे केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना उनके परिरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके परिसंरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 और उसके संशोधनों के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का 14) और इसके अधीन बनाए गए नियमों और उसके किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हों, के अधीन पर्यावरणीय प्रदूषकों का निस्सारण साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा ।

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भराई का स्थापन अनुज्ञात नहीं होगा ;

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना सा.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

**(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित के अनुसार किया जाएगा।

**(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित के अनुसार किया जाएगा।

**(13) इलेक्ट्रोनिक अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में (ई–अपशिष्ट) प्रबंधन का निपटान इलेक्ट्रोनिक–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रकाशित के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

**(14) यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राकृतिक वास के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशिष्ट उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं कर दी जाती है तब तक मानीटरी समिति संबंधित अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

**(15) यानीय प्रदूषण:-** यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अनुपालन किया जाएगा। लागू विधियों के अनुसार स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, आदि के उपयोग के लिए किए गए प्रयास किए जाएं।

**(16) औद्योगिक ईकाइयां: -** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या इसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषण करने वाले उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ख) जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विर्निदिष्ट न हो, फरवरी 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में उद्योग के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषण कारित उद्योग अनुज्ञात होंगे।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्न रुप में होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर ऐसे क्षेत्रों को उपदर्शित करेगी जहां कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(ख) कोई नया संनिर्माण विद्यमान पहाड़ी ढलानों या उच्चडिग्री वाले अपरदन ढलानों पर कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

**4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित और संवर्धित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची –** तानसा वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र में सभी क्रियाकलापों को सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के अधिनियम 53 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगी) और पारिस्थितिक संवेदी जोन के अधीन क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

**सारणी**

| **क्रम सं.** | **क्रियाकलाप** | **टीका-टिप्पणी** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | **प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप** | |
| 1. | वाणिज्यिक खनन। | (क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ;<br>(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा। |
| 2. | प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना। | पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई नया उद्योग या प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।<br>जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विर्निदिष्ट न हो, फरवरी 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषण कारित उद्योग अनुज्ञात होंगे। |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। |
| 4. | किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। |
| 5. | प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। |
| 6. | ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भष्मीकरण प्रसुविधा स्थापन। | पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुज्ञा नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट को उपचारित के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा प्रतिषिद्ध है। |
| 7. | फर्मों, कॉरपोरेट कंपनियों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों की स्थापना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय) स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होंगे। |
| 8. | नई आरा मिलों की स्थापना। | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। |
| 9. | ईंट भट्टों की स्थापना करना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। |
| 10. | जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। |
| | **विनियमित क्रियाकलाप** | |
| 11. | वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना। | पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, कोई वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।<br><br>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से परे या एक किलोमीटर तक पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकटतम सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार, पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप होगा। |
| 12. | संनिर्माण क्रियाकलाप। | (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन को विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा:<br><br>परंतु, स्थानीय लोगों को जिसके अन्तर्गत सूचीबद्ध क्रियाकलाप है पैरा 3 के उप पैरा (1) में उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार अनुज्ञात होगी, जैसेः-<br>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;<br>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;<br>(iii) फरवरी2016 , में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग;<br>(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक |

| | | |
|---|---|---|
| | | भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में सहायक हैं जिसके अन्तर्गत ग्रह वास भी है; और<br>(v) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची :<br>परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों श्वेत प्रवर्ग रुप में है जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे ।<br>(ख) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे । |
| 13. | प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग । | फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग श्वेत प्रवर्ग के रुप में अभिहित और अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे। |
| 14. | वृक्षों की कटाई । | (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।<br>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । |
| 15. | वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| 16. | विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 17. | नागरिक सुख सुविधाओं जिसके अन्तर्गत बुनियादी ढांचे भी है। | लागू विधियों, नियमों और विनियमों, उपलब्ध और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपाय किए जाएंगे । |
| 18. | विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण । | लागू विधियों, नियमों और विनियमों, उपलब्ध और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपाय किए जाएंगे । |
| 19. | पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| 20. | पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| 21. | रात्रि में यानीय यातायात का संचलन । | लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे । |
| 22. | स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन । | स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे। |
| 23. | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिः स्राव का निस्सारण **A** | उपचारित अपशिष्ट जल/बहिः स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश का बचाव किया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिः स्रावों का |

| | | |
|---|---|---|
| | | निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। |
| 24. | सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 25. | खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग। | विनियमित और समुचत प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी जानी चाहिए। |
| 26. | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 27. | विदेशी प्रजातियों को लाना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 28. | पारिस्थितिक पर्यटन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 29. | पोलिथीन बैगों का उपयोग। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 30. | वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 31. | होटल और लॉज के परिसर की बाड़ लगाना। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 32. | वाहन उत्सर्जन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| 33. | कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। |
| **संवर्धित क्रियाकलाप** | | |
| 34. | वर्षा जल संचयन। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 35. | जैविक खेती। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 36. | सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 37. | कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 38. | नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन का उपयोग। | जैव गैस, सौर प्रकाश सीएनजी, एलपीजी, आदि को बढ़ावा देना होगा। |
| 39. | कृषि वानिकी। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 40. | पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 41. | कौशल विकास। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 42. | निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 43. | पर्यावरणीय जागरुकता। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 44. | सामुदायिक प्रकृति भंडार। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 45. | कार्य योजना के अनुसार वन क्षेत्रों में वैज्ञानिक वनों के संचालन का अभिग्रहण। | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। |
| 46. | हिरण प्रजनन केंद्र का रखरखाव। | आवश्यकताओं के साथ बढ़ावा दिया जाएगा। |

**5. मानीटरी समिति-** केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानीटरी समिति का गठन पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए, करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | जिला कलेक्टर, जलगांव- | अध्यक्ष; |
| (ख) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जलगांव- | सदस्य; |
| (ग) | पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ- | सदस्य; |
| (घ) | पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधि- | सदस्य; |
| (ङ) | क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड- | सदस्य; |
| (च) | महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य- | सदस्य; |
| (छ) | क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक- | सदस्य; |
| (ज) | वनों के उप संरक्षक, यावल प्रभाग, जलगांव- | सदस्य सचिव। |

**6. निर्देश और निबंधन** (1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल आधिकारिक राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(3) पूर्व अनुज्ञा की अपेक्षा करने वाले मामलों में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2 खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के उपबंधों के अधीन मानीटरी समिति ऐसे मामलों को, इस अधिसूचना के अधीन गठित राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी, को निर्दिष्ट करेगी, जो इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अनापत्ति प्रदान करेगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/44/2016 -ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध – I**

**पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ यावल वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र**

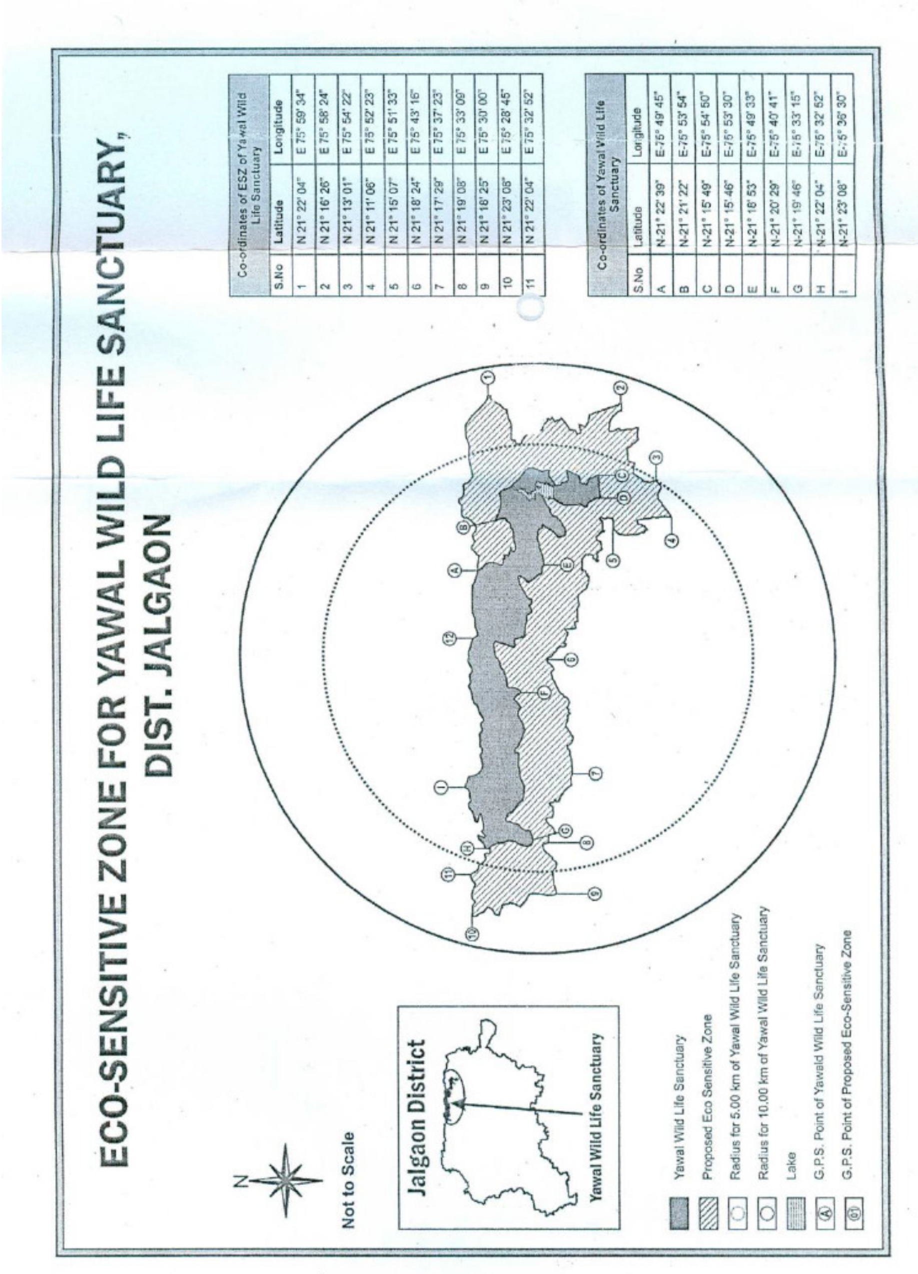


**उपाबंध-Iक**

| **यावल वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक** | | |
|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **अक्षांश** | **देशांतर** |
| ए | उ- 21⁰22'39'' | पू- 75⁰49'45'' |
| बी | उ -21⁰21'22'' | पू -75⁰53'54'' |
| सी | उ -21⁰15'49'' | पू- 75⁰54'50'' |
| डी | उ- 21⁰15'46'' | पू- 75⁰53'30'' |
| ई | उ -21⁰18'53'' | पू -75⁰49'33'' |
| एफ | उ- 21⁰20'29'' | पू- 75⁰40'41'' |
| जी | उ -21⁰19'46'' | पू -75⁰33'15'' |
| एच | उ -21⁰22'04'' | पू -75⁰32'52'' |
| आई | उ -21⁰23'08'' | पू- 75⁰36'30'' |

| यावल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवदी जोन के भू-निर्देशांक | | |
|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **अक्षांश** | **देशांतर** |
| 1 | उ 21$^{0}$22’04” | पू 75$^{0}$59’34” |
| 2 | उ 21$^{0}$16’26” | पू 75$^{0}$58’24” |
| 3 | उ 21$^{0}$13’01” | पू 75$^{0}$54’22” |
| 4 | उ 21$^{0}$11’06” | पू 75$^{0}$52’23” |
| 5 | उ 21$^{0}$15’07” | पू 75$^{0}$51’33” |
| 6 | उ 21$^{0}$18’24” | पू 75$^{0}$43’16” |
| 7 | उ 21$^{0}$17’29” | पू 75$^{0}$37’23” |
| 8 | उ 21$^{0}$19’08” | पू 75$^{0}$33’09” |
| 9 | उ 21$^{0}$18’25” | पू 75$^{0}$30’00” |
| 10 | उ 21$^{0}$23’08” | पू 75$^{0}$28’45” |
| 11 | उ 21$^{0}$22’04” | पू 75$^{0}$32’52” |

**उपाबंध II**

## पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सीमा के जुड़ाव सीमा के कम्पार्टमेंट सं. 11 के उत्तरी और पूर्वी कोण से आरंभ होकर, यह जिनसी ग्राम के पूर्वी भाग सीमा, मध्य प्रदेश राज्य की उत्तरी भाग सीमा, यह कम्पार्टमेंट सं.- 11 के उत्तरी भाग से जाती है, इसके बाद कम्पार्टमेंट सं. 11 और 10 के साथ उत्तर की ओर जाकर, इसके बाद मोरवल और पाल ग्राम की सीमा के साथ पश्चिम की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह पाल ग्राम सीमा और कम्पार्टमेंट सं. 60 की सीमा से जुड़ती है। यह कम्पार्टमेंट सं. 60. से होते हुए महाराष्ट्र को सुकी नदी से पार करके मध्य प्रदेश से आती है जहाँ मंजल नदी और सुकी नदी जुड़ती है। इसके बाद यह मध्य प्रदेश राज्य की दक्षिणी सीमा और मंजल नदी के साथ कम्पार्टमेंट सं.- 60 और 58 की उत्तरी भाग सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है, कम्पार्टमेंट सं- 57, 61, 62, 110, 113, 114 के उत्तरी भाग सीमा और मध्य प्रदेश राज्य की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है, इसके बाद कम्पार्टमेंट सं-114 के उत्तरी भाग की ओर जाती है यह अनेर नदी के साथ आड़े-तिरछे ढंग में जाती है और मध्य प्रदेश राज्य अर्थात् अनेर नदी की दक्षिणी सीमा के साथ कम्पार्टमेंट सं- 120,121,122,125,128 के उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम भाग की ओर जाती है। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य सीमा और मध्य प्रदेश राज्य अर्थात अनेर नदी की दक्षिणी सीमा के साथ कम्पार्टमेंट सं-134,135,136,137,138,139, (**कम्पार्टमेंट सं. 61 से 139 यावल वन्यजीव अभयाण्य की उत्तरी सीमा आवृत है**)166,168 और 169 की उत्तरी सीमा के साथ जाते है। पारिस्थितिक संवदी जोन सीमा कम्पार्टमेंट सं. 169 और 170 के जुड़ाव में उत्तर से दक्षिण तक मुड़ती है, कम्पार्टमेंट सं. 169 पश्चिम और उत्तर कोण, कम्पार्टमेंट सं.169,171,175, 176,180 के पश्चिमी सीमाओं के साथ से दक्षिण की ओर जाती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट सं. 180 और 181 के जुड़ाव में पूर्वी भाग की ओर मुड़ती है जो कि कम्पार्टमेंट सं. 180 के पश्चिम और दक्षिण का कोण बिंदु है। इसके बाद कम्पार्टमेंट सं. 180,178,179,161,151, 108,106, 105,102,101, 92,93, 86, 84, 73,74,75,45,43,34 की दक्षिणी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट सं. 33 की पश्चिमी सीमा के साथ दक्षिण की ओर मुड़कर इसके बाद जनौरी ग्रामों की उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः जनौरी ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ दक्षिण की ओर मुड़कर पुनः जनौरी ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है। इसके बाद जनौरी और खिरौदा ग्राम के जोर के साथ खिरौदा ग्राम के पश्चिमी सीमा के साथ दक्षिण की ओर मुडकर पुनः खिरौदा ग्राम के दक्षिणी सीमा के साथ उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है। सवखेडा बी के ग्राम का जोड़, सवखेडा बीके ग्राम के दक्षिणी सीमा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर, सवखेडा बीके ग्राम का जुड़ाव और सवखेडा बीके ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ लोहारा के उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर, लोहारा ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर, पूर्व में मुड़ती है। इसके बाद लोहारा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ, लोहारा और कुसुम्बा बीके ग्राम की सीमा के उत्तर की ओर मुड़ती है। इसके बाद कुसुम्बा बीके ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है। इसके बाद कुसुम्बा बीके ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ कम्पार्टमेंट सं. 23 की वन सीमा के उत्तर की ओर मुडती है इसके बाद कम्पार्टमेंट सं. 23,20,1918,14 की पूर्वी सीमाओं के साथ कम्पार्टमेंट सं. 12,14,13 के आड़े-तिरछे ढंग से उत्तर की ओर मुड़ती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट सं. 12 की दक्षिणी सीमा के साथ कम्पार्टमेंट सं. 12 और 13 के पूर्व की ओर मुडती है। इसके बाद कम्पार्टमेंट 11 की पूर्वी सीमा के साथ मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य की दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 11 के आरंभिक बिंदु के उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है।

**उपाबंध III**

**यावल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची के साथ भू-निर्देशांक**

| क्र. सं. | ग्राम के नाम | अक्षांश | देशांतर |
|---|---|---|---|
| 1 | पाल | 21 21 41.91 | 75 54 07.39 |
| 2 | गरखेडा | 21 21 29.68 | 75 51 49.88 |
| 3 | निमदया | 21 20 20.85 | 75 51 44.95 |
| 4 | सहसतरालिंग | 21 19 52.36 | 75 58 21.66 |
| 5 | मोरवल | 21 21 44.34 | 75 57 49.20 |
| 6 | लोहरा | 21 15 31.97 | 75 56 04.35 |
| 7 | कुसुम्बा बी के | 21 15 16.78 | 75 57 41.45 |
| 8 | सवखेडा बी के | 21 13 43.12 | 75 53 40.88 |
| 9 | खिरोदा | 21 12 30.36 | 75 52 53.85 |
| 10 | चिनचाती | 21 15 53.04 | 75 54 10.64 |
| 11 | चनोरी | 21 15 02.26 | 75 51 33.56 |
| 12 | अधीमाली | 21 19 15.21 | 75 51 04.40 |
| 13 | तिदया | 21 17 30.97 | 75 50 07.45 |
| 14 | मोहमानदली | 21 18 28.28 | 75 50 01.38 |
| 15 | देवोजिरी | 21 22 01.65 | 75 30 29.05 |
| 16 | देवगढ़ | 21 22 39.00 | 75 29 08.00 |

**यावल वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची के साथ भू-निर्देशांक**

| क्र. सं. | ग्राम के नाम | अक्षांश | देशांतर |
|---|---|---|---|
| 1 | गदरया | 21 22 58.83 | 75 43 54.97 |
| 2 | जमनया | 21 22 00.97 | 75 42 02.96 |
| 3 | लंगदा अम्बा | 21 22 17.38 | 75 40 13.86 |
| 4 | उसमाली | 21 22 51.33 | 75 37 50.38 |

**उपाबंध IV**

**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, 28th September, 2017

**S.O. 3194(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at eszmef@nic.in.

### Draft Notification

**WHEREAS**, the Yawal Wildlife Sanctuary is located about 40 kilometers from Jalgaon District Headquarter, Maharashtra and lies between 21° 18' 45" to 21° 18' 40" North latitude and 75° 32' 15" to 75° 55' 27" East longitude and the area covered by the Yawal Wildlife Sanctuary is 177.52 square kilometer;

**AND WHEREAS,** the Yawal Wildlife Sanctuary is known for its rich bio-diversity where various species of birds, butterflies, snakes, mammals, panther (*Panthera pardus*), hyena (*Hyaena hyaena*), jackal (*Canis aureus*), grey fox (*Vulpes sp.*), wild boar (*Sus scrofa*), black buck (*Antilope cervicapra*), barking deer (*Muntia cusmuntjak*), chinkara (*Gazella bennettii*), wild cat (*Felis sp.*), porcupine (*Hystrix indica*), rodent, anurans, scorpion, grasses, Angiosperms, ferns, etc are found and a variety of birds with some of the rare and endangered species are also found such as darter (*Anhinga*), little egret (*Egretta garzetta*), grey heron (*Ardea cinerea*), cattle egret (*Bubulcus ibis*), etc.;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Yawal Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub section (2) and sub-section (3) of of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules 1986, the Central Government hereby notifies the area falling within 7.65 kilometers from the boundary of Yawal Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra (as shown in the map annexed to this notification as **Annexure I**) Yawal Wildlife Sanctuary as the Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely :-

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-Sensitive Zone extends from 0 to 7.65 kilometers from the boundary of the Protected Area of Yawal Wildlife Sanctuary and touching the boundary with the State of Madhya Pradesh and the Eco-sensitive Zone covers an area of 403.98 square kilometer and is situated between 21° 18' 40" to 21° 20' 20" North latitude and 75° 28' 57" to 75° 59' 37" East longitude.

(2) The map of Yawal Wildlife Sanctuary along with its Eco-sensitive Zone is at **Annexure I** and the list of geo-co ordinates of the Wildlife Sanctuary and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure I (A).**

(3) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is annexed as **Annexure II**.

(4) The list of 16 villages within the Eco-Sensitive Zone along with the geo-co ordinates is annexed as **Annexure III.**

**2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in that notification for consideration and approval of the Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in the manner specified in the final notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any and the Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;

(ii) Maharashtra State Pollution Control Board;

(iii) Forest and Wildlife;

(iv) Agriculture;

(v) Revenue;

(vi) Urban Development;

(vii) Tourism;

(viii) Rural Development;

(ix) Irrigation and Flood Control;

(x) Municipal;

(xi) Panchayati Raj;

(xii) Public Works Department;

(xiii) Tribal Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in the final notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring under the provisions of the final notification.

**3. Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of the final notification, namely:-

(1) **Land use**.- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents, and for the following activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that the shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agriculture area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies**.- The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and guidelines shall be dream up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism/Eco-Tourism**.- (a) The activities relating to tourism within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometre from the boundary of the Yawal Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that beyond the distance of 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage**.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man- made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 made under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air Pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of Effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.-** Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(i) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the inorganic material may be disposed in an environmental by acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio medical wastes.-** The bio medical waste management shall be as under:-

(i) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time;

(ii) no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco- sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Electronic waste.-** The electronic waste (e-waste) management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.-** The vehicular traffic movement shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(16) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of the final notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries may be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in the final notification.

(17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

**4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Act 53 of 1972 and rules framed thereunder) and activities within the ESZ shall be governed under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

| Sl. No. | Activities | Remarks |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| | **Prohibited Activities** | |
| 1. | Commercial mining. | (a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing personal consumption .<br>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 the August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012. |
| 2. | Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.). | No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Only non-polluting industries may be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in the final notification. |
| 3. | Establishment of major hydroelectric project. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 4. | Use or production or processing of any hazardous substances. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 5. | Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 6. | Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste | No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste shall be permitted within the Eco-sensitive Zone, and installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment, hospitals, etc. shall be prohibited. |
| 7. | Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs. |
| 8. | Setting of new saw mills. | No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 9. | Setting up of brick kilns. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 10. | Commercial use of firewood. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| **Regulated Activities** | | |
| 11. | Commercial establishment of hotels and resorts. | No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:<br>Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable. |
| 12. | Construction activities | (a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:<br>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3, as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents:<br>(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;<br>(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;<br>(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;<br>(iv) Cottage industries including village industries; |

| | | |
|---|---|---|
| | | convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and<br>(v) Promoted activities listed in this Notification.<br>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any.<br>(b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan. |
| 13. | Small scale non polluting industries. | Non polluting industries as per classification of Industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone may be permitted by the Competent Authority. |
| 14. | Felling of trees. | (a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.<br>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. |
| 15. | Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP). | Regulated under applicable laws. |
| 16. | Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures. | Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted. |
| 17. | Infrastructure including civic amenities. | Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. |
| 18. | Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads. | Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. |
| 19. | Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc. | Regulated under applicable law. |
| 20. | Protection of hill slopes and river banks. | Regulated under applicable laws. |
| 21. | Movement of vehicular traffic at night. | Regulated for commercial purpose under applicable laws. |
| 22. | Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries. | Permitted under applicable laws for use of locals, however, expansion of these activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan. |
| 23. | Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area. | The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws. |
| 24. | Commercial extraction of surface and ground water. | Regulated under applicable laws. |

| | | |
|---|---|---|
| 25. | Open well, bore well etc. for agriculture or other usage. | Regulated and the activity shall be monitored by the concened authority. |
| 26. | Solid waste management. | Regulated under applicable laws. |
| 27. | Introduction of exotic species. | Regulated under applicable laws. |
| 28. | Eco-tourism. | Regulated under applicable laws |
| 29. | Use of polythene bags. | Regulated under applicable laws. |
| 30. | Commercial sign boards and hoardings. | Regulated under applicable laws. |
| 31. | Fencing of premises of hotels and lodges. | Regulated under applicable laws. |
| 32. | Vehicular emissions. | Regulated under applicable laws. |
| 33. | Drastic change of agriculture systems. | Regulated under applicable laws. |
| **Promoted Activities** | | |
| 34. | Rain water harvesting. | Shall be actively promoted. |
| 35. | Organic farming. | Shall be actively promoted. |
| 36. | Adoption of green technology for all activities. | Shall be actively promoted. |
| 37. | Cottage industries including village artisans, etc. | Shall be actively promoted. |
| 38. | Use of renewable energy and clean fuels. | Bio gas, solar light, CNG, LPG, etc. shall be actively promoted. |
| 39. | Agro-forestry. | Shall be actively promoted. |
| 40. | Use of eco-friendly transport. | Shall be actively promoted. |
| 41. | Skill development. | Shall be actively promoted. |
| 42. | Restoration of degraded land/ forests/ habitat. | Shall be actively promoted. |
| 43. | Environmental awareness. | Shall be actively promoted. |
| 44. | Community Nature Reserves. | Shall be actively promoted. |
| 45. | Adoption of scientific forestry operations in forest areas as per working plan. | Shall be actively promoted. |
| 46. | Maintenance of Deer Breeding Centre. | Shall be promoted with requirements. |

**5. Monitoring Committee.-** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) act. 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification following, namely:-

(a) District Collector, Jalgaon- Chairman;

(b) Chief Executive Officer Zilla Parishad, Jalgaon- Member;

(c) an expert in the field of Ecology and Environment- Member;

(d) one representative of Non Governmental Organisation working in the field of Environment- Member;

(e) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board- Member;

(f) Member of Maharashtra State Biodiversity Board- Member;

(g) Senior town planner of the area- Member;

(h) Deputy Conservator of Forests, Yawal Division, Jalgaon- Member-Secretary.

**6. Terms of reference.-** (1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions are referred to the Central Government in the Ministry of Environment Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of the final notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State under intimation to this Ministry as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

**7.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of the final notification.

**8.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/44/2016-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

**Annexure I**

**Map of Yawal Wildlife Sanctuary along with the Eco-sensitive Zone**

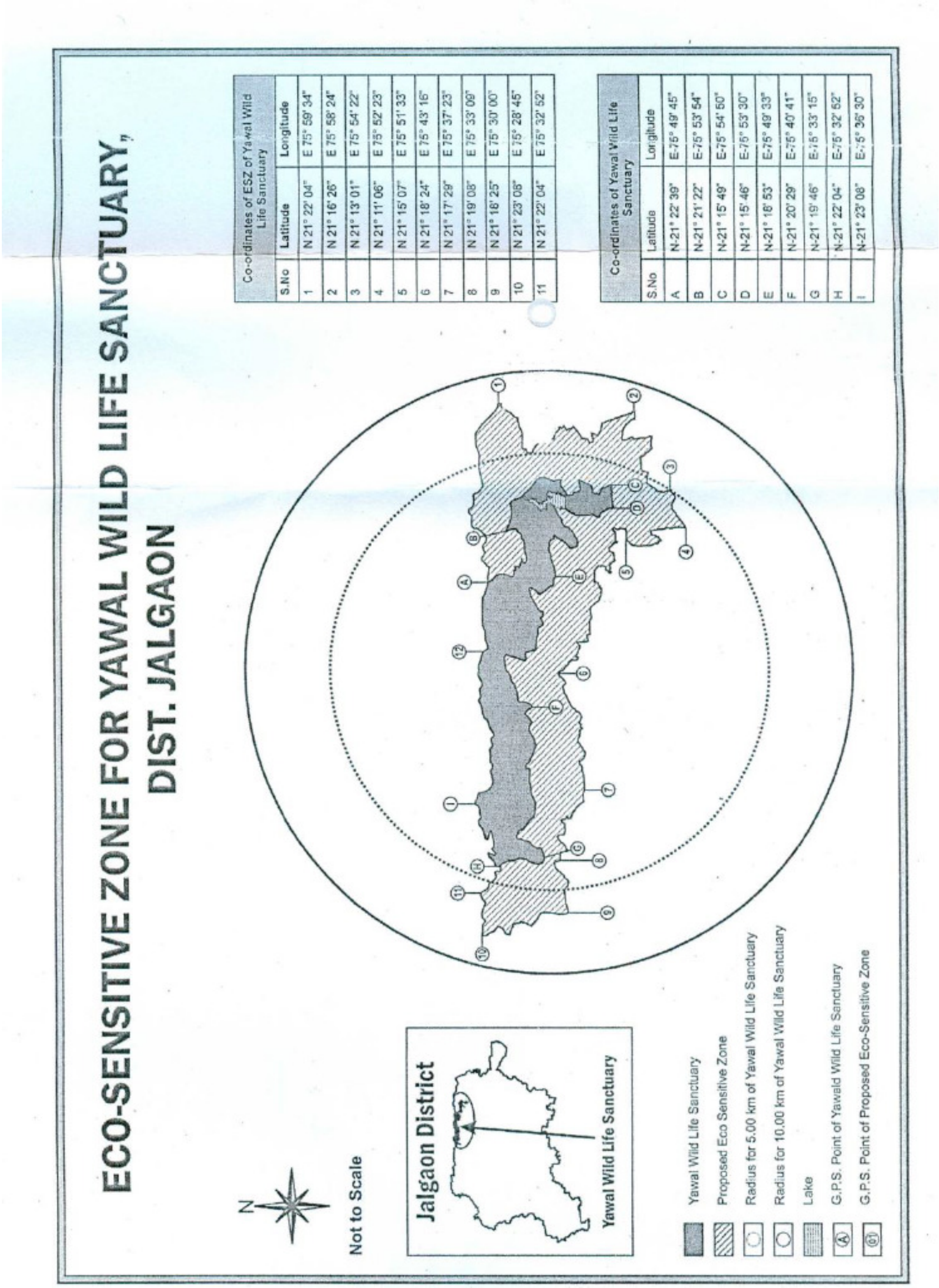

**Annexure I (A)**

| Geo Co-ordinates of Yawal Wildlife Sanctuary | | |
|---|---|---|
| **Sl. No.** | **Latitude** | **Longitude** |
| A | N- $21^0$22’39’’ | E- $75^0$49’45’’ |
| B | N -$21^0$21’22’’ | E -$75^0$53’54’’ |
| C | N -$21^0$15’49’’ | E- $75^0$54’50’’ |
| D | N- $21^0$15’46’’ | E- $75^0$53’30’’ |
| E | N -$21^0$18’53’’ | E -$75^0$49’33’’ |
| F | N- $21^0$20’29’’ | E- $75^0$40’41’’ |
| G | N -$21^0$19’46’’ | E -$75^0$33’15’’ |
| H | N -$21^0$22’04’’ | E -$75^0$32’52’’ |
| I | N -$21^0$23’08’’ | E- $75^0$36’30’’ |

| Geo Co-ordinates of Eco-sensitive Zone of Yawal Wildlife Sanctuary | | |
|---|---|---|
| **Sl. No.** | **Latitude** | **Longitude** |
| 1 | N $21^0$22’04’’ | E $75^0$59’34’’ |
| 2 | N $21^0$16’26’’ | E $75^0$58’24’’ |
| 3 | N $21^0$13’01’’ | E $75^0$54’22’’ |
| 4 | N $21^0$11’06’’ | E $75^0$52’23’’ |
| 5 | N $21^0$15’07’’ | E $75^0$51’33’’ |
| 6 | N $21^0$18’24’’ | E $75^0$43’16’’ |
| 7 | N $21^0$17’29’’ | E $75^0$37’23’’ |
| 8 | N $21^0$19’08’’ | E $75^0$33’09’’ |
| 9 | N $21^0$18’25’’ | E $75^0$30’00’’ |
| 10 | N $21^0$23’08’’ | E $75^0$28’45’’ |
| 11 | N $21^0$22’04’’ | E $75^0$32’52’’ |

**Annexure II**

**Boundary Description of the Eco-sensitive Zone**

The Eco-sensitive Zone boundary starts from northern and eastern corner of comptt.no.11 boundary at the joint of Maharashtra and M.P. State boundary, at it's eastern side boundary of Jinsi village, at it's northern side boundary of M.P. State at it's southern side comptt. No.- 11, then goes towards north along with Comptt.no.11and 10, then turns towards west along with boundary of Village Morval and Pal. Then at the joint of village boundary of village Pal and boundary of comptt.no.60. There is a joint of Manjal river and Suki river coming from M.P. Suki river crosses to Maharashtra through comptt.no.60. Then it goes towards West along with northern side boundary of Comptt. No-60and58 alongwith Manjal river and southern boundary of Madhya Pradesh State, going west along with northern side boundary of comptt.no-57, 61, 62, 110, 113, 114 and southern boundary of Madhya Pradesh State, then goes to northern side of comptt.no-114. going in zigzag along with Aner river and going toward western side alongwith northern boundary of comptt.no-120,121,122,125,128 along with southern boundary of Madhya Pradesh State i.e. Aner river. Then goes alongwith southern boundary Madhya Pradesh State boundary and northern side of comptt.no-134,135,136,137,138,139,(**Northern boundary of Yawal Wild life Sanctuary covers form comptt.no.61 to 139**)166,168 and169 alongwith southern boundary of Madhya Pradesh State i.e. Aner river. The Eco-sensitive Zone boundary turns form north to south at the joint of comptt.no.169and170, along west and north corner of comptt.no.169 goes towards south, along with western boundaries of comptt.no.169,171,175, 176,180. Then turns towards eastern side

at the joint of comptt.no.180and181which is corner point of west and south of comptt.no.180. Then goes towards east along southern boundary of comptt. no.180,178,179,161,151, 108,106, 105,102,101, 92,93, 86,84, 73,74,75,45,43,34. Then turn towards southern along western boundary of comptt.no.33, Then turns to west along with northern boundary of villages Janori again turn to south along with western boundary of village Janori again turn to north east along southern boundary Janori. Then at the joint of village Janori and Khiroda turns to south along with western boundary of village Khiroda again turns to north east along with southern boundary of village Khiroda. Turns to south east at joint of village Savkheda Bk, along with southern boundary village Savkheda Bk, turns to north east up to joint of village Savkheda Bk and Lohara along with eastern boundary of village Savkheda Bk, turns to east then north again south east then east along with southern boundary of village Lohara. Then turns towards north upto joint of boundary of village Lohara and Kusumba Bk. , along with eastern boundary of village Lohara. Then turen to south east along southern boundary of village Kusuba Bk. Then turns to north upto joint of forest boundary of comptt. no.23 along with eastern boundary of village Kusuba Bk. Then turns to north zigzag way upto joint of comptt.no.12,14,13 along with eastern boundaries of comptt.no.23,20,1918,14. Then turn to east upto joint of comptt.no.12and13 along with southern boundary of comptt.no.12. Then turn to north east upto the starting point at the joint of comptt.no.11, southern boundary of Madhya Pradesh State and Maharashtra State along with eastern boundary of comptt.11.

**Annexure III**

**List of villages along with Geo Co-ordinates within the Eco-sensitive Zone of Yawal Wildlife Sanctuary**

| Sl. No | Name of village | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| 1 | Pal | 21 21 41.91 | 75 54 07.39 |
| 2 | Garkheda | 21 21 29.68 | 75 51 49.88 |
| 3 | Nimdya | 21 20 20.85 | 75 51 44.95 |
| 4 | Sahstraling | 21 19 52.36 | 75 58 21.66 |
| 5 | Morval | 21 21 44.34 | 75 57 49.20 |
| 6 | Lohara | 21 15 31.97 | 75 56 04.35 |
| 7 | Kusumba BK | 21 15 16.78 | 75 57 41.45 |
| 8 | Savkheda BK | 21 13 43.12 | 75 53 40.88 |
| 9 | Khiroda | 21 12 30.36 | 75 52 53.85 |
| 10 | Chinchati | 21 15 53.04 | 75 54 10.64 |
| 11 | Janori | 21 15 02.26 | 75 51 33.56 |
| 12 | Adharmali | 21 19 15.21 | 75 51 04.40 |
| 13 | Tidya | 21 17 30.97 | 75 50 07.45 |
| 14 | Mohmandli | 21 18 28.28 | 75 50 01.38 |
| 15 | Deoziri | 21 22 01.65 | 75 30 29.05 |
| 16 | Devgadh | 21 22 39.00 | 75 29 08.00 |

**List of villages along with Geo Co-ordinates within Yawal Wildlife Sanctuary**

| Sl. No | Name of village | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| 1 | Gadrya | 21 22 58.83 | 75 43 54.97 |
| 2 | Jamnya | 21 22 00.97 | 75 42 02.96 |
| 3 | LangdaAmba | 21 22 17.38 | 75 40 13.86 |
| 4 | Usmali | 21 22 51.33 | 75 37 50.38 |

**Annexure-IV**

**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee**.-

1. Number and date of meetings.

2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.

3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise); [Details may be attached as Annexure].

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006; [Details may be attached as separate Annexure].

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006; [Details may be attached as separate Annexure].

7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.10.06 19:30:46 +05'30'